



JEEVKA

Rural Development Department, Government of Bihar

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society State Rural Livelihoods Mission, Bihar



Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brllps.in

Ref: BRLPS/Proj-M&E/1551/19/5119

Date: 12-03-2020

Office Order

Special Endorsement drive for Ultra Poor Households under 'Satat Jeevikoparjan Yojana'.

As per Office Order No- BRLPS/Proj-SJY/1552/19/2565 Dated- 30/09/2019 and Office Order No- BRLPS/Proj-SJY/1552/19/4134 Dated- 13/01/2020 Special Endorsement drive for Ultra Poor Households under Satat Jeevikoparjan Yojana was initiated in 231 Blocks of 38 Districts. It was observed that still many eligible HHs were left to be endorsed in the Village Organizations due to lesser number of endorsements or the BPIU has not run the drive across all Village Organizations. In this regard, it has been decided to undertake **special drive in all the Village Organization** across **101 Blocks** (list attached as annexure-1) from **25th March'2020 to 10th April 2020**.

The endorsement of the Ultra-Poor Households will be carried out between 25th March'2020 to 10th April'2020 in 101 Blocks across 34 Districts.

The Block Project Manager will be responsible for the endorsement of the Ultra Poor HHs under SJY and ensure that eligible households are not left behind in the block. To ensure the same, s/he will be supported by the Area Coordinators, Livelihoods Specialist and Community Coordinators in the process.

The Block Project Manager supported by ACs, LHS and CCs will identify ONE Community Professional (CM/BK/MRP) who can read and write and 2 Village Organization leaders (preferably: One Leader and One CRP). Thus, there will be a 3 member team which will be identified and trained by the BPIU Team. **The BPIU may utilize experienced team .**

The 3 member team will be involved in the endorsement of targeted HHs and also engage themselves in the endorsement of the households in the Village Organization. **One team will be deployed in the area of one Village Organization.** A series of activities need to be done in order to facilitate the movement and deployment of the team in field locations.

Households Endorsement Phase (25th March to 10th April' 2020) – 5 DAY DRIVE IN ONE VILLAGE ORGANISATION

Day 1: Special Meeting of VOs: Orientation of VO members on Satat Jeevikoparjan Yojana.

The Village Organization (VO) leaders and the concerned cadres will be provided with a one-day orientation on the SJY identification process, which will focus on the policy purpose of identifying the poorest of the poor left out of the mainstream SHG support or which are not able to fully realize benefits of SHG ecosystem due to extreme poverty, and highlighting where their support for these households could be helpful. The training will also provide an orientation to the specific task that the VO will be responsible in the SJY program. The oversight of the VO will ensure that the selection of beneficiaries is accurate and will eventually encourage a longer-term local support system for SJY beneficiaries, to graduate out of ultra-poverty. **Annexure-2: overview content that each VO orientation should cover.**

Responsibility: Block Project Manager

9

The BPM would be responsible for informing the date to the VOs and District Unit, arranging the venue and refreshments, and for allocating budget for the purpose. The ACs /CCs will be responsible for contacting VO members personally to remind them to attend the orientation training. The Area Coordinator will ensure presence of trained CF/MBKs/BK in the orientation of the Village Organizations.

Day 2, 3 and 4: Transect Walk and Listing of Households

The team members will conduct door to door visit and prepare two lists, attached as **Annexure 3**. The first list will provide the Households list which needs to be mobilized into the SHG fold. The second list will be of the Households to be mobilized into the SJY fold (which may or may not be SHG members) based on the criteria mentioned below:-

1. **Ultra-Poor HHs traditionally/who has been earlier engaged in Toddy Tapping / Country Liquor business.**
2. **Ultra-poor HHs from SC, ST Communities.**
3. **Ultra-poor HHs from Other Communities.**

In this regard, the team will fill a pre-defined form and based on the criteria , will declare eligibility of the Households to be part of SJY otherwise the Households will be listed as HHs to be mobilized into SHGs fold.

The listed Households to be visited by trained CF/MBKs/BK in all the villages and to certify that the listing has been done properly and no household has been left out of the list. The Area Coordinators /LHS / In charges should ensure that the list has been generated properly and the team has completed the door to door visit. The Area Coordinator will visit Toddy Tapper Cluster and SC/ST dominant tola to cross verify the report and submit the same to BPIU as per **the Supervisor report. (attached as Annexure 4)**

Note: The Area Coordinator/LHS/In charges will collect the first generated list of HHs which need to be mobilized into SHGs fold and share the same with BPM and DPM.

Responsibility: Area Coordinator /LHS/In charges

Day 5: Village Organization Oversight and Endorsement:

Finally, those households identified, and verified as ultra poor and able to manage an asset, will be presented at the VO meeting, wherein the VO members can collectively veto any potentially erroneous inclusion if they have information that the included household is not in the extreme poor category and does not deserve to be provided benefits under SJY. The review of VO is necessary to ensure that beneficiaries selected for the SJY are ultra-poor, and to ensure that no HHs with extreme poverty has not been left out of this list. The VO can also collectively propose additional household/s to be included in the final list of the ultra-poor.

In such cases, the team will undertake needful household verification for such households to ensure adherence to criteria for inclusion. After VO Endorsement process, the CRP team will prepare the final list of identified ultra-poor households (**Annexure 5-VO Endorsement format**).

After completion of the endorsement process in the VO, respective VOs will certify *that no any eligible Ultra Poor HH is left for endorsement under SJY in their respective service areas.*

Responsibility: Block Project Manager



HH Endorsement Confirmation Phase (By 20th April' 2020)

After the endorsement of the Households as targeted HHs under SJY by the Village Organization, the BPIU should do a parallel check to ensure that beneficiaries selected for the SJY are ultra-poor and to be considered as the targeted HHs. The BPIU should organize a VO meeting only if the BPIU finds that the selection of any of the targeted HHs is to be reconsidered and the same has to be completed by **20th April 2020**. The process will focus primarily on removing the selection errors, if any, in course of the CRP rounds.

For this purpose, BPM may form a team consisting of ACs, LHS and CCs.

Responsibility: Block Project Manager and Block Mentors

The Block Project Implementation Unit to ensure:-

1. The BPIU will submit the Endorsed report by 15th April 2020 in the given format. (attached as **Annexure 6**)
Responsibility: Block Project Manager
2. 100% Village Organizations will participate in the process of special endorsement at the Selected Block/Panchayat.
3. **After completion of the drive, BPM will certify that no eligible Ultra Poor HH is left for endorsement under SJY Block/ Panchayat.**
4. The File movement and payment within 15 days to be ensured by the concern BPIU. The payment to the team will be made from BPIU following due norms.

Responsibility: Block Project Manager

The District Project Unit to ensure:-

1. 100% Village Organizations will participate in the process of special endorsement at the Selected Blocks of the District.
2. The DPCU will share the endorsed HHs report through MIS by 20th April 2020.
3. As per the 'Guideline for Selection of Ultra Poor HHs under SJY by VO', the formats and kit (Pen, pencil, eraser and sharpener) to be made available in a folder to the endorsement team members before their deployment in the village.
4. The Stationery Kit (Endorsement formats, Note pad, pen, pencil, rubber, cutter and plastic folder) to be provided to each team.
5. The DPCU will ensure a dedicated vehicle support to the district staff and BPMs for the field movement during the drive and verification which will in addition to the previous approvals. Expenditure occurred on this account would be booked under SJY.
6. Seeing the backlog in endorsement, the Block mentors will ensure quality endorsement under SJY.
7. Completion of Endorsed Household Confidence Building & Enterprise Development training, micro planning and asset transfer .District Nodals with the support of DPMs would ensure it.
8. The DPMs should ensure that the drive performance should be reflected in individual performance which will be conducted in 2020-21.
9. Proper docketing of the endorsed Households should kept at the block and district levels.

The SJY District Nodals to ensure submission of report related to the progress made during the special endorsement drive on weekly basis through mail id of the concerned DPMs with a copy to Ms Gujali Bharti (gujalibharti19@gmail.com) addressing State Project Manager- Monitoring and Evaluation.



Expenses and Budgetary Provisions

SJY Endorsement Budget per District (Total Districts-34)

S.N.	Heads	Unit	Remarks
1.	Orientation of Project Staff	101 blocks across 34 Districts	The District Unit to conduct the orientation. The Expenditures will be booked under BTDP/NRLM/NRETP head, Non Residential Training of the Project Staff.
2.	Orientation of 3 member Team	101 Blocks	As per the unit cost of JEEViKA, the expenditure will be booked under BTDP/ NRLM/NRETP head, non- residential training of community cadres.
3.	Vehicle Support during the drive period	7 days vehicle per Block and additional 12 days Vehicle support during the drive for District.	As per the unit cost mentioned in the office order No BRLPS/Proj/197/10/1775 dt: 18.8.2018 in addition to 10 days mandated for BPIU should be booked under SJY Project. For the district, the expenditure should be booked under SJY.
4.	Honorarium to the 3 member team	Per Team (As per required team in the Block)	Rs 200/- per day will be paid to each member of the team. The expenditure will be booked under CRP drive sub component of BTDP/NRLM /NRETP.
5.	Resource fee to the CF/MBK/BK	1 member Per Cluster in listed 101 Blocks	Rs 200/- per day per person will be paid to the CF/MBK/BK based on their visit of identified HHS during the drive in their assigned Cluster. The expenditure to be booked under BTDP/NRLM/NRETP.
6.	Incentive Payment	Per Team (As per required team in the Block)	<ol style="list-style-type: none">Rs 90/- per Household will be paid to team after Endorsement of Ultra-Poor HHS traditionally engaged in Toddy Tapping / Country Liquor business.Rs 75/- per Household will be paid to the team after the final endorsement of Ultra-poor HHS from SC, ST Communities. The expenditure to be booked under BTDP/NRLM/NRETP.
7.	Printing of all formats/ Xerox/Stationary	Attached Documents	The BPIU will have an additional Rs 10000/- for printing /Xerox of formats and Stationary under SJY Endorsement drive. All formats have to be made available in a folder to the team .It should be made available during the orientation. The expenditure to be booked under BTDP/NRLM/NRETP.
8.	Miscellaneous Expenses	Per Team (As per required team in the Block)	The BPIU will have an additional fund of Rs 2000/- per team for miscellaneous expenses for SJY Endorsement drive. The expenditure should be booked under SJY.
9.	Incentive for BK	1 BK Per VO in listed 101 Blocks.	Rs 100/- per VO will be paid to the concerned BK for record keeping and organizing VO meetings during the endorsement drive. The expenditure will be booked under CRP drive sub component of BTDP/NRLM /NRETP.


Q

S.N.	Heads	Unit	Remarks
10.	Incentive for HH profile entry	Entry of endorsed HH profile at Block/District Level	Rs 5/- per House Hold Profile (already endorsed during the drive by the VO after verification of BPIU) will be paid to the concerned data Operator for its entry in SJY MIS. The expenditure will be booked under BTDP/NRLM /NRETP.
11.	Resource fee to Cadre working in Helpdesk	Daily follow-up of special endorsement drive from the endorsement team.	The payment to cadre working on Helpdesk will be made @ Rs. 100 per working day within 7 days of drive completion. The Person managing the Help desk should be properly oriented. The expenditure will be booked under CRP drive sub component of BTDP/NRLM /NRETP.

It was observed that some BPMs are not verifying the endorsed Households within the timeline, resulting into delay in final endorsement. The BPMs/Incharge are directed to verify the Households with the support of Staff and Cadres within 7 days of the drive closure.

The DPMS/ In charge are hereby directed to adhere to the time line and ensure the quality of endorsement of the targeted Households under Satat Jeevikoparjan Yojana.

By the Order of CEO



(Braj Kishore Pathak)
Officer on Special Duty

Encl.

Annexure 1, 2,3,4,5 and 6

Copy to:

All DPMS/ FMs/ Manager-ICBs/ SJY District Nodals / BPMs.
All SPMU officials
IT Section /Concerned File

Annexure -1 List of Blocks for SJY Special Endorsement Drive			
SL No	District	Block	Total Vos in Block as per MIS
1	ARARIA	Araria Sadar	190
2	ARARIA	Sikti	144
3	ARARIA	Narpatganj	180
4	ARARIA	Forbesganj	194
5	ARWAL	SONBHADRA BANSHI	71
6	Aurangabad	Kutumba	129
7	Aurangabad	Deo	109
8	Buxar	Brahmpur	101
9	Buxar	Chougain	28
10	Buxar	Kesath	28
11	Banka	Dhoraiya	158
12	Banka	Rajaun	156
13	Banka	Phulidumar	75
14	Banka	Belhar	131
15	Banka	Banka sadar	95
16	Banka	Bausi	125
17	Begusarai	Bhagwanpur	103
18	Begusarai	Dandari	74
19	Begusarai	Mansurchak	70
20	Bhagalpur	Kahalgaon	165
21	Bhagalpur	Pirpanti	177
22	Bhagalpur	Sanhaura	124
23	Bhagalpur	Sultanganj	147
24	Bhagalpur	Goradih	109
25	Bhagalpur	Shahkund	122
26	Bhojpur	Piro	121
27	Bhojpur	Shahpur	110
28	Bhojpur	Jagdishpur	112
29	Bhojpur	Koilwar	77
30	Bhojpur	Tarari	92
31	Bhojpur	Garhani	53
32	East Champaran	Pakridayal	56
33	East Champaran	Madhuban	89
34	Gopalganj	Barauli	127
35	Gopalganj	Bijaipur	84
36	Gopalganj	Bhorey	114
37	Jamui	Khaira	125
38	Jamui	Islamnagar Aliganj	99
39	Jamui	Sono	148
40	Jamui	Jhajha	155
41	Jamui	Barhat	65
42	Jamui	Laxmipur	105
43	Jehanabad	Ghosi	101
44	Jehanabad	Modanganj	80
45	Kaimur	BHAGWANPUR	62
46	Kaimur	DURGAWATI	99
47	Khagria	BELDAUR	197
48	Khagria	MANSI	87
49	Khagria	GOGRI	227
50	KISHANGANJ	Kochadhaman	132

Q

SL No	District	Block	Total Vos in Block as per MIS
51	KISHANGANJ	Pothia	147
52	KISHANGANJ	Dighalbank	147
53	KISHANGANJ	Thakurganj	120
54	Lakhisarai	Barahiya	42
55	Madhepura	Alamnagar	129
56	Madhepura	Gwalpara	110
57	Munger	Kharagpur	112
58	Munger	Tetiabambar	47
59	Muzaffarpur	Bandra	140
60	Nalanda	Biharsahrif	188
61	Nalanda	Asthawan	140
62	Nalanda	Sarmera	90
63	Nawada	Warsaliganj	90
64	Nawada	Akbarpur	115
65	Patna	Danapur	68
66	Patna	Patna Sadar	47
67	PURNEA	Srinagar	95
68	PURNEA	Krityanaand Nagar	188
69	Rohtas	Nauhatta	68
70	Rohtas	Rohtas	58
71	Saharsa	Kahara	112
72	Samastipur	Warisnagar	143
73	Samastipur	Patori	150
74	Saran	Manjhi	90
75	Saran	Dariyapur	125
76	Saran	Garkha	90
77	Saran	Baniyapur	84
78	Saran	Jalalpur	53
79	Saran	Masrakh	89
80	Sheikhpura	Barbiga	63
81	Sheikhpura	Sheikhpura	96
82	Sheikhpura	Ariari	78
83	Sheikhpura	Chewada	50
84	Sheikhpura	Ghat Kusumbha	32
85	Sheikhpura	Sheikhopur Sarai	56
86	Sheohar	Dumari	79
87	Sheohar	Purnahiya	69
88	Sitamarhi	Mejorganj	69
89	Sitamarhi	Bokhra	90
90	Siwan	Bhagwanpur Hat	91
91	Siwan	Goriakothi	87
92	Siwan	Mairwa	59
93	Siwan	Guthani	80
94	Siwan	Darauli	84
95	Siwan	Raghunathpur	90
96	SUPAUL	Bashantpur	146
97	SUPAUL	Raghopur	164
98	Vaishali	Daseri	88
99	Vaishali	Mahnnar	96
100	West Champaran	Ramnagar	102
101	West Champaran	Gaunaha	146

Q

Annexure: 2

सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लक्षित परिवारों के चयन के मापदंड

क). चयन के लिए सभी अनिवार्य मापदंड पुरे करने हैं :-											
(क)				(ख)				(ग)			
देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार			
क्र.सं.	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र सं	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र.सं	मापदंड	हाँ	नहीं
1 (a)	परिवार के सदस्य देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुड़े थे			2 (a)	अनुसूचित जाति एवं जनजाति से परिवार है			3 (a)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ हैं		
1 (b)	परिवार में आय का एकमात्र श्रोत केवल देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से था एवं वर्तमान में कोई स्थायी आय का श्रोत परिवार को उपलब्ध नहीं है			2 (b)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ हैं			3 (b)	परिवार में मुख्य पैसा कमाने वाली व्यक्ति महिला है		
1 (c)	परिवार का मासिक आय (□ 3000 से कम है)			2 (c)	परिवार का मासिक आय (□ 3000 से कम है)			3 (C)	परिवार का मासिक आय (□ 3000 से कम है)		

(ख) वैकल्पिक मापदंडो: अत्यंत निर्धन गरीब परिवारों का चयन तब होगा जब निम्न बारह वैकल्पिक मापदंडों में से सात में नहीं आता है।

क्रसं	ख) नीचे दिए गए मापदंडोंमें से चयन के लिए 7 में "नहीं" अनिवार्य है :-	हाँ	नहीं
1	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले 15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है		
2	परिवार के किसी भी सदस्य ने एक से ज्यादा बार 5000रुपये से अधिक का औपचारिक श्रोतोंसे ऋण (MFI एवं बैंक से) लिया है		
3	परिवार के पास 5 कट्टा याउससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है		
4	परिवारका कोई भी सदस्य आय अर्जित करनेके लिए 5000 रूपये से अधिक मूल्यकी उत्पादक सम्पति का मालिक है ओर उसका उपयोग कर रहा है		
5	परिवार के पास कम से कम दो सरकारी योजनाओ का लाभ पिछले तीन महीनों से लगातार पहुँच रहा है (पेंशन,मनरेगा एवंजन वितरण प्रणाली)		
6	परिवार के पास अपना पक्का मकान(छत एवं दिवार) है		
7	परिवार के बच्चे अधिकांश दिन स्कूल जा रहे हैं		
8	परिवार के पास आय काएक से अधिक श्रोत है		
9	परिवार किसी भी संगठन से जुड़ा है और उसके बैठक में पिछले तीन महीने से लगातार उपस्थित हो रहा है		
10	परिवार के द्वारा पिछले तीन महीनो सेलगातारबचत किया गया है (स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत किये गए बचत के अलावा)		
11	परिवार के घर शौचालय है और उसका उपयोग कर रहा है		
12	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनोंमें लगातार घर में पैसा भेज रहा है		

Household Targeting Format (Through VO)

Annexure-3 (a)

पंचायत का नाम		जिला		पंचायत		सी. एल. एफ का नाम		प्रवर्तक एजेंसी (अर्थात् Jeevika, WDC, PRADA N, Co-opled Fed.)		समूह का नाम		ग्रुप चयन क्रिया तय्य (हॉ/नहीं)		दियुगी	
क्र. नं०	गाँव/टीला संख्या	सदस्य का नाम	पति/पिता का नाम	सामाजिक समारोशन (अर्थात् जाति/जनजाति, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, मुस्लिम, सामान्य एवं अन्य)	समूह सदस्य (हॉ/नहीं)	समूह का नाम	ग्रुप चयन क्रिया तय्य (हॉ/नहीं)								
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

VO के अध्यक्ष का नाम:

VO के अध्यक्ष का हस्ताक्षर:



Annexure -3 (b)

जीविका द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत परिवार सर्वेक्षण प्रश्नावली

A. मूलभूतजानकारी

सर्वेक्षण का तारीख	
परिवार के मुखिया का नाम	
गाँव कानाम	
वार्ड संख्या	
पंचायत का नाम	
प्रखंड का नाम	
जिला का नाम	
ग्राम संगठन का नाम	

B. उत्तरदाता के बारे में जानकारी

1. उत्तरदाता का नाम : _____

2. उत्तरदाता की आयु : _____

3. उत्तरदाता का लिंग :

पुरुष		महिला		अन्य	
-------	--	-------	--	------	--

कृपया सही (✓) का चिन्ह लगायें

4. परिवारों के सदस्यों की संख्या:

व्यस्क पुरुष		व्यस्क महिला		बच्चे		लड़का:
						लड़की:

5. परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या :

पुरुष		महिला	
-------	--	-------	--

6. पारिवारिक विवरणी:

क्र. सं.	परिवार के सदस्य का नाम (बड़ेसे छोटे उम्र केक्रम में)	आयु	व्यवसाय	मासिक आय	टिप्पणियां

नोट: यदि यहाँ तक की जानकारी प्राप्त करने तक परिवार की कोई भी महिला कार्य करने योग्य एवं समूह से जुड़ने लायक नहीं पाए जाती है तो सर्वेक्षण कार्य उचित कारण देते हुए समाप्त करे। अन्यथा लक्षित महिला लाभार्थी की श्रेणी में पाए जाने की स्थिति में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नावली को भरें।

लक्षित परिवार (महिला समूह से जुड़ी हैं / जुड़ने योग्य है) के संबंध में जानकारी

1. महिला का नाम : _____

2. महिला की आयु : _____

3. जन्म तिथि(दस्तावेजी साध्य के अनुसार) : _____

4. वैवाहिक स्थिति : विवाहित अविवाहित विधवा
कृपया सही (✓) का चिन्ह लगायें

तलाकशुदा विवाहित लेकिन पति के साथ नहीं रहती है

5. पति/पिता का नाम : _____

6. शैक्षणिक योग्यता:(कृपया सही (✓) का चिन्ह लगायें)

निरक्षर	हस्ताक्षर साक्षर	प्राथमिक	मैट्रिकुलेशन (10 th पास)	उच्च माध्यमिक (10+2 पास)	स्नातक	स्नातकोत्तर

7. जातिश्रेणी: अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जन जाति (ST) पिछड़ा जाति (BC)

अत्यंतपिछड़ाजाति(EBC) अल्पसंख्यक(Minority) सामान्य (Gen.)

8. उत्तरदाता महिला किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) का सदस्य है : हां नहीं

9. यदि हां, तो स्वयं सहायता समूह (SHG) का नाम : _____

10. स्वयं सहायता समूह (SHG) में भागीदारी: नियमित अनियमित

11. स्वयं सहायता समूह (SHG) से ऋण लिया गया है : हां नहीं

12. बकाया ऋण की राशि : _____

13. ऋण का उद्देश्य : _____



D. लक्षितपरिवारों को चयन करने का जाँच प्रतिवेदन

लक्षित परिवार की परिभाषा :सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को शामिल किया जायेगा।

(क) अनिवार्य मापदंड: अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन तब होगा जब वे तीन अनिवार्य मापदंडों को पूरा करते हैं।

(क) देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				(ख) अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				(ग) अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार			
क्र.सं.	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र.सं.	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र.सं.	मापदंड	हाँ	नहीं
1 (a)	परिवार के सदस्य देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े हैं			2 (a)	अनुसूचित जाति एवं जनजाति से परिवार है			3 (a)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ है		
1 (b)	परिवार में आय का एकमात्र श्रोत केवल देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से था एवं वर्तमान में कोई स्थायी आय का श्रोत परिवार को उपलब्ध नहीं है			2 (b)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ है			3 (b)	परिवार में मुख्य पैसा कमाने वाली व्यक्ति महिला है		
1 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)			2 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)			3 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)		

(ख) वैकल्पिक मापदंडो: अत्यंत निर्धन गरीब परिवारों का चयन तब होगा जब निम्न बारह वैकल्पिक मापदंडों में से सातमें नहीं आता है।

क्र.सं.	ख) नीचे दिए गए मापदंडों में से चयन के लिए 7 में " नहीं" अनिवार्य है :-	हाँ	नहीं
1	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले 15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है		
2	परिवार के किसी भी सदस्य ने एक से ज्यादा बार 5000 रुपये से अधिक का औपचारिक श्रोतों से ऋण (MFI एवं बैंक से) लिया है		
3	परिवार के पास 5 कट्टा या उससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है		
4	परिवार का कोई भी सदस्य आय अर्जित करने के लिए 5000 रुपये से अधिक मूल्य की उत्पादक सम्पत्ति का मालिक है और उसका उपयोग कर रहा है		
5	परिवार के पास कम से कम दो सरकारी योजनाओं का लाभ पिछले तीन महीनों से लगातार पहुँच रहा है (पेंशन, मनरेगा एवं जन वितरण प्रणाली)		
6	परिवार के पास अपना पक्का मकान (छत एवं दिवार) है		
7	परिवार के बच्चे अधिकांश दिन स्कूल जा रहे हैं		
8	परिवार के पास आय का एक से अधिक श्रोत है		
9	परिवार किसी भी संगठन से जुड़ा है और उसके बैठक में पिछले तीन महीने से लगातार उपस्थित हो रहा है		
10	परिवार के द्वारा पिछले तीन महीनों से लगातार बचत किया गया है (स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत किये गए बचत के अलावा)		
11	परिवार के घर शौचालय है और उसका उपयोग कर रहा है		
12	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनों में लगातार घर में पैसा भेज रहा है		

5. सी०आर०पी टीम के द्वारा टिप्पणी:

सी०आर०पी का नाम: हस्ताक्षर:

सी०आर०पी का नाम: हस्ताक्षर:

सी०आर०पी का नाम: हस्ताक्षर:

F. सर्वेक्षण किया गया परिवार (लाभार्थी):

चयनित

अस्वीकृत

कृपया सही (✓) का चिन्ह लगायें

G. अनुमोदक (ग्राम संगठन) की टिप्पणी : (चयन / अस्वीकृति का कारण)

ग्राम संगठन केसचिव का नाम :

तारीख के साथ हस्ताक्षर :

नोट: अत्यंत निर्धन परिवारोंके चयन के लिए दिशानिर्देश: -

1. अनुभाग डी.ए (D. क्र) के तहत सभी तीन अनिवार्य मापदंड को भरना आवश्यक है।
2. अनुभाग डी.बी (D. ख) के तहत चयन के लिए 12 मापदंडों में से चयन के लिए '7' में 'नहीं' होना अनिवार्य है।



Annexure: 4

सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत प्रखंड इकाई द्वारा लक्षित परिवारों का जाँच प्रतिवेदन

[प्रखंड इकाई द्वारा लक्षित परिवारों का सत्यापन ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरा करना है। यह सत्यापन / जाँच प्रक्रिया मुख्य रूप से CRP राउंड के दौरान लक्षित परिवारों का चयन की त्रुटियों को हटाने पर केंद्रित होगी, (यदि कोई हो, तो)। प्रखंड इकाई (BPIU) द्वारा नए परिवारों का चयन नहीं किया जाना है।]

A. मूलभूत जानकारी

प्रखंड इकाई (BPIU) द्वारा सत्यापन की तिथि	
लक्षित परिवार का नाम (महिला लाभार्थी)	
जिला का नाम	
प्रखंड का नाम	
पंचायत का नाम	
ग्राम संगठन का नाम	
ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवार का सत्यापन की तिथि	

B. लक्षित परिवार के बारे में जानकारी

1. जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार) : _____

2. परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या :

पुरुष		महिला	
-------	--	-------	--

3. लक्षित परिवार का कुल मासिक आय () : _____

C. लक्षित परिवारों को चयन करने का जाँच प्रतिवेदन

(क) अनिवार्य मापदंड: अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन तब होगा जब वे तीन अनिवार्य मापदंडों को पूरा करते हैं।

क). चयन के लिए, सभी अनिवार्य मापदंड पूरे करने हैं :-											
(क) देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				(ख) अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				(ग) अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार			
क्र.सं.	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र.सं.	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र.सं.	मापदंड	हाँ	नहीं
1 (a)	परिवार के सदस्य देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े हैं			2 (a)	अनुसूचित जाति एवं जनजाति से परिवार है			3 (a)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ है		
1 (b)	परिवार में आय का एकमात्र श्रोत केवल देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से था एवं वर्तमान में कोई स्थायी आय का श्रोत परिवार को उपलब्ध नहीं है			2 (b)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ है			3 (b)	परिवार में मुख्य पैसा कमाने वाली व्यक्ति महिला है		
1 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)			2 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)			3 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)		

A/V

(ख) वैकल्पिक मापदंडों: अत्यंतनिर्धन गरीब परिवारों का चयन तब होगा जबनिम्न बारह वैकल्पिक मापदंडों में से सातमें नहीं आता हैं।


क्रसं	ख) नीचे दिए गए मापदंडोंमें से चयन के लिए 7 में " नहीं" अनिवार्य है :-	हाँ	नहीं
1	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले 15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है		
2	परिवार के किसी भी सदस्य ने एक से ज्यादा बार 5000रुपये से अधिक का औपचारिक श्रोतोंसे ऋण (MFI एवं बैंक से) लिया है		
3	परिवार के पास 5 कट्टा याउससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है		
4	परिवारका कोई भी सदस्य आय अर्जित करनेके लिए 5000 रूपये से अधिक मूल्यकी उत्पादक सम्पत्ति का मालिक है ओर उसका उपयोग कर रहा है		
5	परिवार के पास कम से कम दो सरकारी योजनाओ का लाभ पिछले तीन महीनों से लगातार पहुँच रहा है (पेंशन,मनरेगा एवंजन वितरण प्रणाली)		
6	परिवार के पास अपना पक्का मकान(छत एवं दिवार) है		
7	परिवार के बच्चे अधिकांश दिन स्कूल जा रहे हैं		
8	परिवार के पास आय काएक से अधिक श्रोत है		
9	परिवार किसी भी संगठन से जुडा है और उसके बैठक में पिछले तीन महीने से लगातार उपस्थित हो रहा है		
10	परिवार के द्वारा पिछले तीन महीनो सेलगातारबचत किया गया है (स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत किये गए बचत के अलावा)		
11	परिवार के घर शौचालय है और उसका उपयोग कर रहा है		
12	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनोंमें लगातार घर में पैसा भेज रहा है		

नोट: अत्यंत निर्धन परिवारोंके चयन के लिए दिशानिर्देश: -

1. सभी तीन अनिवार्य मापदंड को भरना आवश्यक है।
2. चयन के लिए 12 मापदंडों में से चयन के लिए '7' में'नहीं'होना अनिवार्य है।

E. प्रखंड इकाई के द्वारा टिप्पणी:

सत्यापन में शामिल परियोजना कर्मी का नाम एवं हस्ताक्षर
तारीख:



**ग्राम संगठन द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लक्षित परिवारों की सूची**

ग्राम संगठन का नाम :

तारीख:

ग्राम:

वार्ड संख्या:

पंचायत:

प्रखंड:

ज़िला:

क. लक्षित परिवारों की संख्या

विवरणी	संख्या
कुल परिवारों की संख्याजिनका प्रथम सूची में नाम आया(अनुलग्नक-1)	
सर्वेक्षण योग्य परिवारों की संख्या	
सर्वेक्षण में शामिल परिवारों की संख्या	
सर्वेक्षण के बाद चयनित परिवारों / लाभार्थियों की संख्या	
सत्यापन की बाद कुल लक्षित परिवारों की संख्या (अंतिम सूची)	

ख. लक्षित परिवारों की सूची

क्र. सं.	लक्षित परिवार का नाम(महिला लाभार्थी)	पिता/ पति का नाम	जाति श्रेणी (अ०जा०, अ०जन०जा०, पि०जा०, अ०पि०जा०, अल्पसंख्यक एवं सामान्य)	लक्षित परिवारों की विवरणी			कितने मापदंड में नहीं लिखा गया है (अनुलग्नक 2: D. ख केवैकल्पिक मापदंडों के अंतर्गत)
				देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	

क्र. सं.	लक्षित परिवार का नाम(महिला लाभार्थी)	पिता/ पति का नाम	जाति श्रेणी (अ०जा०, अ०जन०जा०, पि०जा०, अ०पि०जा०, अल्पसंख्यक एवं सामान्य)	लक्षित परिवारों की विवरणी			कितने मापदंड में नहीं लिखा गया है (अनुलग्नक 2: D. ख केवैकल्पिक मापदंडों के अंतर्गत)
				देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	

हमारा ग्राम संगठन जिसका नाम, ग्राम..... यह सत्यापित करता है की उपर लिखे परिवार अत्यंत गरीब है ओर उन्हें ग्राम संगठन एवं परियोजना द्वारा सहयोग दिया जायेगा तथा आने वाले तीन महीनो में उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ लिया जाएगा ।

क्र.सं.	नाम	पद नाम	हस्ताक्षर	ग्राम संगठन का मोहर एवं सचिव का हस्ताक्षर
1		सचिव		
2		अध्यक्ष		
3		कोषाध्यक्ष		
4		उपसचिव		
5		उपअध्यक्ष		

Handwritten signature

2

Annexure-6 BPIU ENDORSEMENT REPORTING FORMAT

Reporting Date	Panchayat Name	VO Name	Wards no. (s) Covered	Target HHS Identified	Target HHS Eligible For Survey	Target HHS Participated in Survey	UP HHS Identified after Survey	UP HHS Endorsed By VO	Ultra poor HH after verification	UP HHS earlier Engaged in Country Liquor/Toddy Business	SC-ST Ultra Poor HHS	Other Ultra Poor HHS	SHG	Non-SHG

B/P